मु0न0–10/2024 उनवान– पुष्पा देवी बनाम निरंजन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 10/2024 दिनांक:– 22.02.2024

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि योगेश वर्मा जाति बैरवा निवासी दौसा जिला दौसा।
2. श्रीमति सीमादेवी पत्नि राजेश कुमार गौतम जाति बैरवा निवासी लाका बैरावडा तहसील सिकराय जिला दौसा।

(सायलान)

बनाम

1. निरंजन पुत्र देवीराम
2. भरतलाल पुत्र देवीराम
   समस्त जाति बैरवा निवासी मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
3. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
4. उप पंजीयक टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकट सायलान
श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट गैरसायलान न0 1,2

निर्णय दिनांक 14.08.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मेहन्दीपुर की आराजी ख0न0 396 रकवा 1.68 है0 मे से 3/140 अर्थात 360 वर्ग मीटर को सायलान ने गैरसायल न0 1 व 2 के पिता देवीराम पुत्र पॉच्या से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 20.12.2006 को खरीद किया है। लेकिन राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज नही हुई है। देवीराम का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान गैरसायल न0 1 व 2 है।

उक्त आराजी ख0न0 396 के हाल जमाबन्दी मे बटा खसरा नम्बर 734/396 रकवा 1.0834 कायम किया है। तथा अन्य बटे नम्बर भी कायम किये गये है। सायलान मुताबिक विकय पत्र वर्णित आराजीयात मे 3/140 के खातेदार है तथा सायलान की यह भूमि हाल ख0न0 734/396 रकवा 1.0834 है0 मे है। जिसकी खातेदारी गैरसायल न0 1 व 2 के नाम दर्ज है। तथा इसी खसरा नम्बर मे सायलान काविज है। तथा अपने नाम खातेदारी कराने के हकदार है। सायलान की क्रय शुदा आराजी की चारो तरफ से पक्की बाउन्ड्री वाल हो रही है तथा काविज है। सायलान की इस आराजी से गैरसायल न0 1 व 2 का कोई संवध किसी प्रकार का नही है।

यह है कि सायलान ने इस विकयपत्र के आधार पर अपने नाम नामांतकरण खुलवाने हेतु पटवारी हल्का को विकय पत्र तथा विकय पत्र की फोटोप्रति दे दी थी, तो सायलान निश्चिंत हो गये सायलान दिनांक 12.02.2024 को अपनी क्रयशुदा आराजी पर ... थी कि गैरसायल न0 1 व 2 सायलान के पास आये और सायलान को भूमि से बेदखल करने ... अन्य व्यक्ति को विकय करने की धमकी दी। तब दिनांक 12.02.2024 को पता चला कि विकय ... के आधार पर सायलान के नाम खातेदारी नही हुई है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। सायलान का पृथमदृष्टया केश बखूबी सावित है उपरोक्त प्रकरण मे सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे बखूबी सावित है। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हुई तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। जिसकी पूर्ति होना संभव नही है। जवकि गेरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

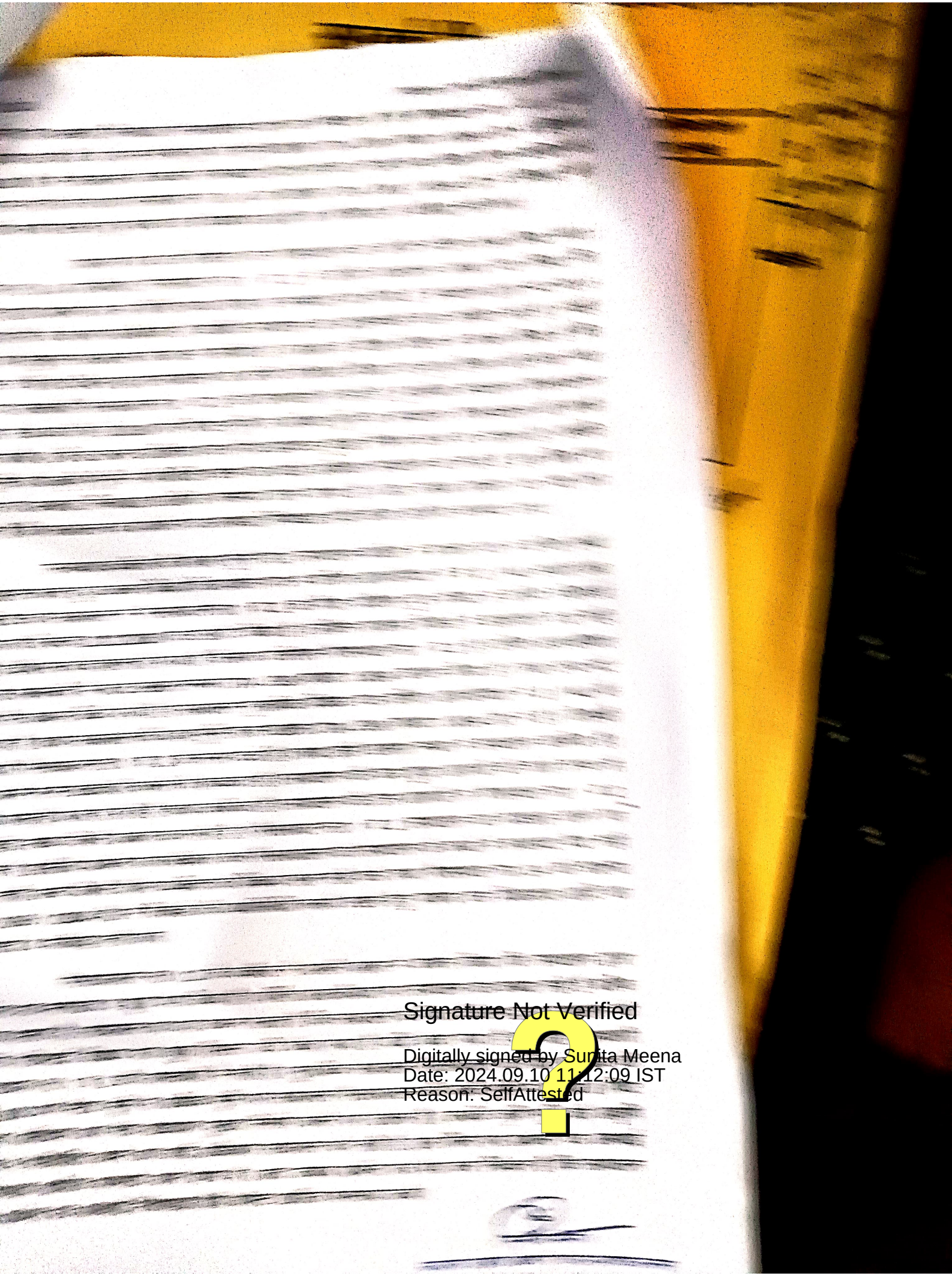
Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:09 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया ...। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम मेहन्दीपुर की आराजी ख0न0 734/396/1.0834 मे गैरसायल न0 1 निरंजन पुत्र देवीराम, हिस्सा 5494/12021, तथा गैरसायल न0 2 भरतलाल पुत्र देवीराम हिस्सा 6527/12021 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावल मे शामिल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2006 के अनुसार गैरसायलान के पिता देवीराम पुत्र पॉच्या द्वारा सायलान को 3/140 हिस्सा अर्थात 360 वर्ग मीटर का बेचान किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सायलान वर्णित आराजीयात मे खातेदारी कराने के हकदार है लेकिन जमाबन्दी मे खातेदारी नही हुई है। विक्रय पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः—** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष मे साबित नही होने से सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः— प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उक्त तीनो बिन्दु सायलान के पक्ष मे साबित होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मेहन्दीपुर की आराजी ख0न0 396/1.68 है0 का बटा नम्बर 734/396 रकवा 1.0834 है0 की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:09 IST
Reason: SelfAttested